

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: एफ.02.सी.सी/स्वा.का.पु./2023/237 दिनांक : 29/8/2023

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)/एफडी/रुल्स/2017/ दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानानुसार निम्नलिखित एमपीडब्ल्यू को राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है -

| क. सं. | नाम कर्मचारी व पद                    | पदस्थापन स्थान | प्रथम नियुक्ति तिथि | पूर्ण सेवावधि | ए.सी.पी स्वीकृति दिनांक | पै-बैंड/लेवल |
|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1      | श्री ब्रह्मा नन्द शर्मा, एमपीडब्ल्यू | सीएमचओ, करौली  | 18.02.1991          | 27 वर्ष       | 18.02.2018              | एल-11        |
| 2      | श्री अतर सिंह, एमपीडब्ल्यू           | सीएमचओ, भरतपुर | 27.07.1991          | 27 वर्ष       | 27.07.2018              | एल-11        |

स्वीकृत ए.सी.पी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.02.सी.सी/स्वा.का.पु./2023/237

दिनांक : 29/8/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन, भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली/भरतपुर।
3. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, करौली।
4. प्रभारी सर्वर रुम कमरा नं० 302 मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर